माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 27.1.2014 को सचिवालय के कॉन्फ्रैंस हाल में आयोजित हि0प्र0 राज्य योजना बोर्ड की बैठक का कार्यवाही विवरण ।

(बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।)

2. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 27.1.2014 को प्रातः 11 बजे हि0प्र0 सचिवालय के कॉन्फ्रैंस हाल में माननीय मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना को अनुमोदित करवाने के लिए आयोजित की गई ।

3. सर्वप्रथम प्रधान सचिव (योजना) डॉ0 श्रीकान्त बाल्दी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं उपस्थित मन्त्रीमण्डल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि इस बैठक में दिए जाने वाले सुझावों को वार्षिक योजना 2014–15 में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त समय उपलब्ध है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य योजना को अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया जून, 2014 के बाद ही प्रारम्भ होगी और यह कार्य लोक सभा के चुनावों के पश्चात किया जाएगा । उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड को विधिवत् स्वागत भाषण देने का आग्रह किया ।

4. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, श्री गंगू राम मुसाफिर ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित माननीय मंत्रियों एवं अन्य गैर–सरकारी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि माननीय विधायकों से दो दिवसीय बैठकों का आयोजन जो दिनांक 14 व 15 जनवरी, 2014 को किया था, में प्राप्त विधायक प्राथमिकताओं एवं आज की राज्य योजना बोर्ड की बैठक में दिए जाने वाले सुझावों का वार्षिक योजना 2014–15 एवं आगामी वर्ष के बजट में समावेश किया जाएगा ।

5. उन्होंने अवगत करवाया कि लोक सभा के होने वाले चुनावों के दृष्टिगत् भारत सरकार वर्ष 2014–15 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करेगी इसलिए प्रदेश सरकार के लिए वार्षिक योजना 2014–15 के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की स्थिति स्पष्ट नहीं हैं फिर भी हमने वार्षिक योजना का आकार 4400 करोड़ रूपये निर्धारित किया है जो वर्तमान वर्ष 2013–14 की योजना से

7.32 प्रतिशत अधिक है । उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि वह बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करने हेतु बैठक को संबोधित करने की कृपा करें ।

6. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में भाग लेने आए सभी माननीय सदस्यों एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा आश्वस्त किया कि वार्षिक योजना 2014–15 के परिव्ययों व कार्यक्रमों को सभी बुद्धिजीवियों से विचार–विमर्श के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाएगा । उन्होंने प्रदेश की गम्भीर वित्तीय स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए सूचित किया कि प्रदेश की राजस्व प्राप्तियाँ वर्तमान में चल रही आर्थिक मन्दी के कारण घट रही हैं जबकि सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व जैसे वेतन, पेंशन तथा अन्य प्रतिबद्ध देनदारियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं फिर भी हमने वार्षिक योजना 2014–15 के आकार में 300 करोड़ रूपये की वृद्धि की है ।

7. वर्तमान सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषण पत्र को सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है । हमने लघु एवं सीमान्त किसानों को पॉली हाऊस के निर्माण हेतु अनुदान बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया है तथा बागवानों को अच्छी गुणवत्ता वाले एंटी हेल नेट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । राज्य में वृद्ध, विधवाओं एवं विकलांग पेंशनभोगी जिनकी संख्या 2,82,555 है, की पेंशन दर को 450/– रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500/– रूपये प्रतिमाह कर दिया है । शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को शिक्षा संस्थानों तक आने जाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है ।

8. वार्षिक योजना 2014–15 में अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए 1108 करोड़ रूपये तथा जनजातीय उप–योजना के लिए 395 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । हमने सामाजिक सेवा शीर्ष को वर्ष 2014–15 की योजना में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है । जिसमें 1085 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं जो कुल योजना का 38 प्रतिशत है । हमने दूसरी प्राथमिकता परिवहन एवं संचार शीर्ष को दी है जिसमें 817 करोड़ रूपये का निवेश होगा जो कुल योजना का 19 प्रतिशत है । ऊर्जा का दोहन हमारी नीति का महत्वपूर्ण अंग है इस शीर्ष में 648 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना का 15 प्रतिशत है ।

9. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं निवेश क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में 20 दिसम्बर,2013 को आयोजित ''स्टेट आफ स्टेटस कनक्लेव 2013'' में हिमाचल को देश में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है ।

10. इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे चर्चा के दौरान प्रस्तावित योजना आकार, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, संसाधनों को जुटाने तथा विकास की गति में तेजी लाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझावों से सरकार को अवगत करवाएं ।

11. इसके पश्चात सलाहकार (योजना) द्वारा राज्य योजना 2014–15 के मुख्य बिन्दुओं पर Power Point Presentation प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रदेश में वर्तमान स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता तथा आर्थिक स्थिति आदि पर जानकारी दी गई ।

12. वार्षिक योजना 2014–15 के आकार में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के लिए रखे गए 37.40 करोड़ रूपये पर श्री कौल सिंह ठाकुर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जोर देकर कहा कि इस योजना में वर्ष 2007–08 में 85 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित था जो अब घटकर 37.40 करोड़ रूपये रह गया है जिसके कारण जिला चम्बा, मण्डी, शिमला एवं सिरमौर में जहां 8 पिछड़े विकास खण्ड पड़ते हैं, सड़क निर्माण की दृष्टि से पिछड़ गए हैं । इस कम बजट आबंटन के कारण हम सड़कों के प्रति 100 Sq. Km. के घनत्व में 62 कि.मी. सड़क निर्मित कर पाए हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सड़क घनत्व 115 कि.मी. है । इसलिए इस उपयोजना में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ।

13. श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय गैर सरकारी सदस्य ने सूचित किया कि हमारी पूर्व सरकार ने जिन क्षेत्रों में सड़कों का घनत्व कम था वहां के लिए separate parameter बनाए थे तथा अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाया था । यह वर्ष 1985–90 की अवधि में किया था । पुनः ऐसा करने के लिए सम्पूर्ण पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना की समीक्षा की जाए तथा क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं भले ही पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में सम्मिलित कुछ पंचायतों को इस उपयोजना से बाहर ही क्यों न करना पड़े तथा कुछ पंचायतों को शामिल करना पड़े।

14. श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने सूचित किया कि पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत निर्धारित सड़कों को उनके विस्तारीकरण के

लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित किया जाए तथा इस योजना में अब तक बनी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना चाहिए ताकि इनकी गुणवता बनी रहे । उन्होंने अवगत करवाया कि जल विद्युत शीर्ष में आय में कमी आई है । जब वर्तमान सरकार ने वर्ष 2007 में सत्ता छोड़ी थी तब जल विद्युत से वार्षिक आय 1600 करोड़ रूपये थी जो अब घटकर 600 करोड़ रूपये रह गई है । इसलिए विद्युत उत्पादन में आ रही कमी व गिरती आमदनी में सुधार लाने की आवश्यकता है । कृषि क्षेत्र में जैविक खेती सम्मिलित कर विविधीकरण किया जाए जो पॉली हाऊस स्कीम है वह protective cultivation है जिससे कृषि विकास ज्यादा नहीं हो सकता है जबकि जैविक कृषि से कृषक की आय में वृद्धि होगी । राष्ट्रीय सम विकास योजना में निर्मित हुई परिसम्पतियों को विभाग take over नहीं कर रहे हैं तथा इसमें निर्मित हुई 90 प्रतिशत सड़कें forest clearance प्राप्त न करने के कारण अधर में लटक गई हैं ।

15. उन्होंने ठेकेदारों द्वारा 3 करोड़ रूपये की सड़क 1 करोड़ रूपये में बनाने का ठेका लेने पर सदन को अवगत करवाया तथा कहा कि ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता कभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती व ठेकेदार सड़क का कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं । प्रधान सचिव (योजना) ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जिला चम्बा व सिरमौर में सड़क निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अतिरिक्त BRGF कार्यक्रम में भी किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि अब पिछड़ी पंचायतें विकसित हो रही हैं तथा इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में 546 पिछड़ी पंचायतों में से केवल 11 पंचायतें ही पिछड़ी पंचायत बनी रहने के योग्य हैं । उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काफी धनराशि अभी लोक निर्माण विभाग के पास शेष बची है इस धनराशि से जिन पंचायतों को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है उन्हें जोड़ा जाएगा । PMGSY योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक सड़क निर्माण पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में किया जाए जहां धनराशि उपलब्ध है ।

16. प्रधान सचिव (लो0नि0वि0) ने ऐसी बची हुई सड़कों जिनका निर्माण पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में हुआ है को पूरा करने के लिए कुछ नई व्यवस्था शुरू करने का आग्रह किया जिसके अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उपायुक्तों की शक्तियों के अन्तर्गत ऐसी स्कीम बने जिसमें रखे गए वित्तीय प्रावधान से लाभार्थियों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया जा सके क्योंकि लोग अपनी

जमीन अब सड़क निर्माण के लिए नहीं दे रहे हैं, अन्यथा इन सड़कों पर किया गया अभी तक का व्यय व्यर्थ हो जाएगा ।

17. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर निर्णय देते हुए कहा कि पिछड़े क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि सड़क निर्माण के साथ–2 विकास अपने आप पहुंच जाता है । इन क्षेत्रों में सड़कों का उचित निर्माण gradient/alignment के अनुसार हो ताकि इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग को take over करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े । पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना में सड़क निर्माण NABARD की सहायता से भी किए जाएं तथा इस उपयोजना की राशि भी बढ़ाई जाए ।

18. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ठेकेदारों द्वारा काम समय पर न करने व व्यर्थ में लटकाने की प्रवृति पर चिन्ता प्रकट की तथा कहा कि वह कुछ मामलों में जानबूझकर Arbitration में चले जाते हैं तथा award प्राप्त कर लेते हैं और जब appeal पर निर्णय करने की बारी आती है तब तक समय निकल जाता है । यह प्रवृति ठेकेदारों तथा विभाग में अनुचित कार्य करने वालों के गठजोड़ से होती है तथा ऐसे मामलों में बढ़ौतरी हो रही है । इस प्रवृति पर रोक लगाई जाए तथा वर्तमान एवं सेवानिर्वित हो चुके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ।

19. श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने Valley Side पर्यटन के विकास पर बल दिया तथा कहा कि Valley Side पर निर्माण गतिविधियां चलने के कारण पर्यटन के विकास पर बाधा आई है तथा ऐसे निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए । इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सूचित किया कि सरकार ने इस सन्दर्भ में पहले से ही उचित कदम उठाया है तथा Valley Side में किसी भी भवन/निर्माण कार्य की छत सड़क के स्तर से नीचे ही रखी जाए के कानून बनाने की प्रकिया जारी है ।

20. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 ए.डी.एन. वाजपेयी ने प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध किया । उन्होंने प्रदेश में Manpower Planning व्यवस्था करने पर बल दिया तथा कहा कि इसमें Applied Manpower Research Institute को भी सम्मिलित कर Input Output Table बनाए जाने चाहिए जो अन्य प्रदेश सरकारों ने बना दिए हैं और आवश्यकता पड़े तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी इसमें सहायता कर सकता है । सड़क के निर्माण के लिए Backward & Forward Linkages का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अर्थव्यवस्था के प्राईमरी सैक्टर से सकैंडरी

सैक्टर में बढ़ौतरी होने पर रोजगार सृजन कम होने पर चिन्ता प्रकट की ।

21. श्री जी.एस. बाली, माननीय परिवहन मन्त्री ने सरकार के गिरते राजस्व पर चिन्ता प्रकट की तथा कहा कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है क्योंकि यहां उद्योगों को मंहगी बिजली दी जा रही है जो 5 रू0 प्रति यूनिट है जबकि हम बाहर के प्रदेशों को 2.70 रूपये तक प्रति यूनिट बिजली बेच रहे हैं । यह उद्योग प्रदेश में रोजगार सृजन भी कर रहे हैं फिर भी इन्हें मंहगी बिजली देकर रोजगार सृजन में बाधा डाली जा रही है ।

22. श्री राम लाल ठाकुर, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने सूचित किया कि ग्वालथाई औद्यौगिक क्षेत्र में 2 उद्योग मंहगी बिजली उपलब्ध होने के कारण बन्द हो गए हैं जिससे 1800 स्थानीय व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं । श्री जी.एस. बाली, माननीय परिवहन मन्त्री ने सूचित किया कि रोजगार एवं मंहगी बिजली के बीच सन्तुलन बनाने के लिए ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उद्योगों का पलायन भी न हो और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। प्रधान सचिव (विद्युत) ने सदन को अवगत करवाया कि हम प्रदेश के बाहर बिजली 3 से 4 रूपये प्रति यूनिट बेच रहे हैं उन्होंने कहा प्रदेश में बिजली की दर तो सस्ती ही है लेकिन Electricity Duty ज्यादा है इसे यदि सरकार संतुलित करे तो बिजली की दर और सस्ती की जा सकती है जिसका लाभ सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा । जहां तक बिजली की दर निर्धारित करने का प्रश्न है यह कार्य हि0प्र0 विद्युत नियामक आयोग करता है । इस चर्चा का समापन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है जिस पर गहन विश्लेषण की आवश्यकता है इसलिए मुख्य सचिव, वित्त सचिव तथा विद्युत सचिव इस विषय पर गहन चर्चा कर समाधान निकालें।

23. श्री ध्यान चन्द, अध्यक्ष, हि0प्र0 पी.एच.डी. चैम्बर आफ कार्मस एवं उद्योग ने अपने विचार देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में Forest Clearance की नीति में सरलीकरण किया जाए । हिमाचल में उद्योगों को रात के समय जब बिजली surplus होती है कम दर पर उपलब्ध करवाई जाए तथा पर्यटन होटल और उद्योगों को पानी की कमी से होने वाली दिक्कत को दूर किया जाए । इसके लिए होटल उद्योग से जुड़े लोग भी वित्तीय भागीदारी करेंगे । प्रदेश में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाए जिससे प्रदेश को राजस्व आमदनी मिलेगी तथा शिक्षा में नए संस्थान खुलेंगे व लोग

यहां शिक्षा ग्रहण के लिए भी आएंगे । इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सूचित किया कि हर भवन में Rain Water Conservation करने का प्रावधान किया गया है । होटल व पर्यटन से जुड़े व्यक्ति Rain Harvesting से एकत्रित किए गए पानी से अपने बाग–बगीचों की सिंचाई एवं साफ सफाई आदि आवश्यकता की पूर्ति करें तथा पीने का पानी जो उपलब्ध करवाया जाता है उसका उपयोग पीने के लिए ही किया जाए ।

24. श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय उद्योग मंत्री ने विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम में प्रतिवर्ष धन के आबंटन में हो रही कमी का विषय उठाया जिसपर प्रधान सचिव (योजना) ने कहा कि इस विषय पर विभाग समुचित कार्यवाही करेगा ।

25. श्री विनोद सुल्तानपुरी, गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि सीमेंट उद्योगों से आस–पास की सड़कों को औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन पद्धति के अन्तर्गत निर्मित किए जाने का मामला उठाया जाना चाहिए । जिसके लिए हमें उनसे लिये जा रहे Tax की दर में कमी लानी चाहिए । यह यदि एक वर्ष में 50 कि. मी. की सीमेंट वाली सड़क बनाएंगे तो यह हमारे बर्फानी इलाकों के लिए टिकाऊ सिद्ध होगी ।

26. प्रधान सचिव (सिंचाई) ने सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए धन के प्रावधान में आ रही कमी का मामला अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा तथा आशा व्यक्त की कि रखरखाव के लिए धनराशि का प्रावधान किए जाने के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा । रखरखाव की समस्या सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी आ रही है । इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव (योजना) ने सूचित किया कि निर्मित कार्यों का रखरखाव एक समस्या है । सरकार अपने उपलब्ध साधनों से रखरखाव का प्रावधान तो करती है लेकिन वह समुचित नही है जिसे supplement करने के लिए State Disaster Relief Fund से भी धनराशि प्रदान की जाती रही है तथा 14वें वित्त आयोग को भी प्रस्ताव भेजा गया है कि वह रख–रखाव राशि प्रदान करे ।

27. श्री जी.एस.बाली, माननीय परिवहन मन्त्री ने मैडिकल कालेज टांडा में रख–रखाव के अभाव की गम्भीर चिन्ता प्रकट की जिस पर प्रधान सचिव (योजना) ने सदन को अवगत करवाया कि इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना में विशेष प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति में एकत्रित हुई धनराशि से भी रख–रखाव के कार्य किए जाने चाहिए ।

28. डा0 डी.जे. दासगुप्ता, गैर सरकारी सदस्य ने लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों की भर्ती में हो रहे विलम्ब तथा कई वार योग्य डाक्टरों को चयनित न किए जाने पर चिन्ता व्यक्त की और सुझाव दिया कि चिकित्सकों की यथासमय नियुक्ति करने के लिए कैम्पस प्लेसमैंट की जानी चाहिए जोकि Allopathic एवं Ayurvedic दोनों चिकित्सकों के लिए की जाए ।

29. श्री धनी राम शांडिल, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कांगड़ा के War Museum के रख–रखाव के लिए अतिरिक्त धन की मांग की । इस रखरखाव के सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अवगत करवाया कि शुरू के वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य जन उपयोगी भवनों का बहुत निर्माण किया गया है लेकिन रख–रखाव के अभाव में उनकी छतें टूट रही हैं तथा भवन भी जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं । इस विषय पर सभी विभाग उपाय करें । श्री जी.एस.बाली, माननीय परिवहन मन्त्री ने कहा कि प्रदेश में व्यापक तौर पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में कार्य किए जाने चाहिए विशेषकर सड़क एवं सुरंग निर्माण इसके लिए बहुत से व्यक्ति निवेश करने के लिए तैयार भी हैं । प्रदेश में ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि निवेशकर्ता यहां सुगमता से आएं ।

30. श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राजस्व व्यय में कमी की जाए व सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाई जाए लेकिन साथ में यह भी देखा जाए कि विद्युत बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग में छोटे स्तर के कर्मचारी लगभग नगन्य रह गए हैं जिससे कार्य बाधित हो रहा है और प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10 लाख हो गई है । इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर एक कार्य योजना लाकर मामले को सुलझाया जाए ।

31. श्री राम लाल ठाकुर, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने बिजली के बिल बढ़ी हुई दर से प्राप्त होने का मामला उठाया और कहा कि कई लोगों को 5–6 हजार रूपये का बिल आ रहा है जिसे आम आदमी देने में असमर्थ है । बिना मीटर reading किए अनुमानित बिल दिए जा रहे हैं क्योंकि बिल देने वाले को बिल की राशि पर कमीशन मिलता है और जो नए मीटर लगे हैं उन पर तेजी से चलने व अधिक बिल देने का शक है । इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए बिजली विभाग को इस पर गहराई से विचार करने के निर्देश दिए । प्रधान सचिव (विद्युत) ने अवगत करवाया कि भारत सरकार ने मीटर Reader के पदों को

भरना बन्द करवा दिया है तथा यह कार्य Outsource कर दिया है । बिजली का बिल मीटर देखकर समय पर दिया जाए तथा इसकी दर भी ठीक हो, के लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधिशासी अभियन्ता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी ताकि इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी न हो ।

32. बैठक के अन्त में हि0 प्र0 राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2014–15 की 4400 करोड़ रूपये की योजना को अनुमोदित किया ।

33. बैठक का समापन करते हुए मुख्य सचिव महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री परिषद तथा राज्य योजना बोर्ड के अन्य सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया तथा आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए महत्पपूर्ण विषयों एवं सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष की योजना में समेकित किया जाएगा । योजना के समस्त कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य प्रशासन सभी प्रयास करेगा । इसी के साथ बैठक सम्पन्न हो गई ।

****